उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(जिला योजना)

EOI No - 02/2020 **दिनांक 27/08/2020**

ईच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) हेतु अति अल्पकालीन पुर्निविदा सूचना

DMFT (Dsitrict Mineral Foundation Trust) रामगढ़ अन्तर्गत प्राप्त राशि के विरूद्ध प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के तहत् वित्तीय वर्ष 2019–20 अन्तर्गत आय–व्यय की राशि का अंकेक्षण हेतु उपयुक्त अंकेक्षक का नियुक्ति की जानी है।

अतः DMFT रामगढ़ के ईच्छुक अंकेक्षकों से Expression of Interest के तहत् Empanelled C.A. Firm से प्रस्ताव दिनांक 07.09.2020 तक आमंत्रित किया जाता है।

आवश्यक शर्ते एवं अर्हताएँ निम्नवत् है :–

1. ईच्छुक C.A. (Chartered Accountant) Firm, CAG से Empanelled होना चाहिए।
2. ईच्छुक C.A. Firm अपने प्रस्ताव के साथ पूर्व का कार्य अनुभवन Empanelled से संबंधित कागजात, PAN कार्ड, आवासीय एवं Firm का पूरा पता, विगत तीन वर्षों का आय–कर रिटर्न एवं GST Registration Number की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. अंकेक्षण कार्य कार्यादेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर पूरा कर अंकेक्षण प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को समर्पित करना होगा, इसके पश्चात् प्रस्तुत विपत्र के अनुसार अंकेक्षण शुल्क की भुगतान की जाएगी।
4. अंकेक्षण कार्य हेतु शुल्क का भुगतान ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित दर (विभागीय पत्रांक 2642/(ग्रा0वि0वि0) दिनांक 26.02.2018 द्वारा निर्धारित दर) के अन्तर्गत किया जाएगा।
5. चयनित अंकेक्षक को DMFT अन्तर्गत जिला स्तर पर विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों यथा : पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, भवन प्रमण्डल, जिला नजारत, नगर परिषद, जिला आपूर्ति कार्यालय, छावनी परिषद्, सिविल सर्जन कार्यालय, जिला मत्स्य कार्यालय आदि जिसके द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, के कार्यालयों में अंकेक्षण का कार्य करना होगा।
6. वित्तीय वर्ष 2019–20 की अवधि का अंकेक्षण कार्य किया जाना है। विगत वित्तीय वर्ष (2018–19) में DMFT का अंकेक्षण कार्य करने वाले Empanellment Firm को प्राथमिकता दी जाएगी। संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण कार्य का दायित्व सौंपा जा सकता है।
7. अंकेक्षक को Empanellment हेतु निर्धारित दिशा–निदेशों एवं DMFT प्रबंधकीय समिति, रामगढ़ द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निदेशों/मापदण्डों का अनुपालन कर निर्धारित समय–सीमा के अन्दर अंकेक्षण कार्य पूरा करना होगा।
8. आवेदक को अपना प्रस्ताव उप विकास आयुक्त–सह–सचिव, DMFT रामगढ़ को सम्बोधित करते हुए एक अग्रसारण पत्र (Covering Letter) जिसमें उक्त कार्य करने की सहमति एवं संलग्न किये जाने वाले सभी कागजातों का Index के साथ समर्पित करना होगा।

9. ईच्छुक C.A. Firm अपना प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफ में जिसपर आवेदक का नाम, पूरा पता एवं किस कार्य के लिए EOI समर्पित किया जा रहा है, साफ–साफ अक्षरों में लिखकर दिनांक 07.09.2020 के अपराह्न 01:00 बजे तक हाथों–हाथ अथवा पंजीकृत डाक के द्वारा निम्न पते पर जाम कर सकते है :–

Deputy Development Commissioner, Ramgarh
"B" Block, 1st Floor, District Planning office,
Collectorate Campus, Chhattarmandu, Ramgarh (Jharkhand) 825101

उक्त EOI उसी दिन दिनांक 07.09.2020 को अपराह्न 03:00 बजे चयन समिति के सदस्यों के द्वारा आवेदकों / उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी।

10. सुयोग्य अंकेक्षक का चयन आवेदक द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं EOI के शर्तों के अनुसार चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
11. अंकेक्षकों के चयन हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, DMFT, रामगढ़ का निर्णय अन्तिम होगा।
12. अल्पकालित सूचना (EOI) के शर्तों में परिवर्तन एवं इसे बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

ह0 / –
जिला योजना पदाधिकारी,
–सह–प्रभारी, DMFT, रामगढ़।